

282

न्यायालय: श्रीमान राजेश सिंह ज्वालामर (मं.प.)

12/3/18

निकरानी-2566/2018/टीकमगढ़/भू.स.

Rm
7/3/18

1. दरभारा म तन्य ल. रावर अधि

2. कमतुवा तन्य नंदा अहिरवा

3. रतनवालय तन्य के न्हैया अधि

समान तीनो निकासीमान

गाव - मामौन तह. वजिला

टीकमगढ़ (मं.प.)

4. घनश्यामदास S/O धरमुवा

अहिरवा निकासी - मुखजा

पौरहा टीकमगढ़ जिला -

टीकमगढ़ (मं.प.)

वनाम

भागीरथ तिवारी तन्य पुभुदभर

तिवारी निकासी - टीकमगढ़ (मं.प.)

निगरानी प्रतिकूल आदेश अनुविभागीय अधिकारी

टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 24-1-2018 से

लपकित होकर निगरार कर्ता गणेश डारामह

निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

निगरारकर्ता गणेश डारामह निम्न आधारों पर

मह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

① मह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरारकी

गणों का आवेदन अन्तर्गत धारा आदेश, निम्न

10 सी.पी.सी. प्रकाणक 18/B/12/12-13 के अर्थ

दिनांक 24-1-18 में पश्कार न बनाकर आवे

न को अनवीकार करने में कानूनी भूलका

है। जिल पट माननीय न्यायालय द्वारा विचा

रिया जाना आवश्यक है वमां कि विधि क

मह सिद्धान्त है। कि पश्कारगणों को बिना

सुने कोई भी आदेश अलीकार नहीं किया

3

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2566/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

दयाराम

विरुद्ध

भागीरथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
12-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 181/बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24-01-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	

3

hami
(आर.के.जेन)
सदस्य 2-3-19